पत्रांक 1प्रा0आ0–36 / 2011 5396 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 16/12/13

विषयः **वर्त्तमान वर्ष 2013–14 में शीतलहर / पाला की स्थिति उत्पन्न होने पर शीतलहर / पाला से बचाव के उपाय करने के संबंध में।**

प्रसंगः **विभागीय पत्रांक 4942 दिनांक–12.12.2012 एवं पत्रांक 85 दिनांक 10.01.2013,**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्रों के संदर्भ में कहना है कि बिहार राज्य में सामान्यतः माह दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंढ की व्यापकता और तीक्ष्णता कभी–कभी प्रचण्ड एवं भयावह शीतलहर का रूप ले लेती है। इस वर्ष भी दिसम्बर माह के प्रारम्भ से ठंढ प्रारम्भ हो गई है, संभावना है कि शीतलहर भी शीघ्र ही शुरू हो जाए। गरीब एवं निःसहाय व्यक्ति विशेष रूप से शीतलहर से प्रभावित होते हैं।गत वर्ष का अनुभव बताता है कि जनवरी 2013 में अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 5^0 सेल्सियस से भी कम हो गया था। जलवायु परिवर्त्त (Climate change) की पृष्ठ भूमि में इस वर्ष भी भीषण ठंड पड़ने की संभावना है। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह शीतलहर से जनसामान्य विशेषकर गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों के बचाव हेतु समुचित प्रबंध करे।

2. अवगत है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–32–3 / 2010–NDM-1 दिनांक–13.08.2012 द्वारा भारत सरकार ने शीतलहर (Cold Wave) / पाला (Frost) को राज्य आपदा रिस्पांस कोष / राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य की देयता के लिए प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया है, जिसका संसूचन विभाग द्वारा पत्रांक–4285 / आ0प्र0, दिनांक–18.10.2012 द्वारा किया गया है। साहाय्य मानदर के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पौंस कोष / राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष के अंतर्गत साहाय्य प्राप्त करने के लिए निम्नांकित मानदर निर्धारित किया गया हैः–

(क) किसी क्षेत्र को शीतलहर से प्रभावित निम्न परिस्थितियों में माना जायेगाः–

I. वैसे क्षेत्र जहॉ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

II. वैसे क्षेत्र जहॉ का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो वैसे क्षेत्र में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय।

(ख) किसी क्षेत्र में यदि तापमान शून्य डिग्री सेन्टीग्रेड से कम हो जाय तथा यह रबी/खरीफ फसल के मौसम में उस क्षेत्र विशेष के लिए असामान्य स्थिति हो, तब उस क्षेत्र को पाला (Frost) प्रभावित क्षेत्र माना जायगा।

राज्य में किसी जिले को शीतलहर/पाला (Frost) से प्रभावित मानने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्गत तापमान आकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जायगा। रबी/खरीफ फसल के 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक की क्षति होने पर एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से अनुदान देय होगा। उक्त विभागीय परिपत्र की प्रति विभागीय बेव–साईट www.disastermgmt-bih@nic.in पर भी उपलब्ध है।

3. इस वर्ष 2013–14 में शीतलहर को ध्यान में रखते हुए गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों की शीत लहर से रक्षा के लिए निम्नांकित निदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाय :–

3.1 **रैन वसेरों /अस्थायी शरण स्थलों की व्यवस्थाः–** (क) रैन वसेरों (Night Shelters) में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के गरीब निःसहाय व्यक्तियों के रहने की समुचित व्यवस्था की जाय। जहॉ रैन वसेरे उपलब्ध न हो तो वहॉ जिले में उपलब्ध पॉलिथिन शीट्स, टेंट, तारपोलीन शीट्स का उपयोग कर आवश्यकतानुसार अस्थायी शरण स्थली बनायी जाय। रैन वसेरों (Night Shelters) एवं अस्थाई शरण स्थलों में पर्याप्त संख्या में कम्बल रखे जाय। कम्बल किसी शरणार्थी को आवंटित नहीं किया जाय, उनके द्वारा मात्र शरण लेते समय कम्बल का उपयोग किया जायगा। शरण स्थली से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय ताकि जन सामान्य को जिसकी पूर्ण जानकारी रहें तथा वे सरकार द्वारा एतद् संबंधी की गई व्यवस्था का पूरा लाभ उठा सके तथा इस व्यवस्था की मौनेटरिंग/ निगरानी भी उच्च स्तर से की जाय। रैन बसेरों की व्यवस्था एवं रख–रखाव स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से होगी ।

3.2 **कम्बल वितरणः–** फूटपाथ पर निवास करने वाले गरीब, रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, निःसहाय व्यक्तियों एवं ऐसे सदृश्य श्रेणी के लोगों के बीच कम्बल का पर्याप्त संख्या में वितरण किया जाय। कम्बल की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के द्वारा की जायेगी।

3.3 **अलाव की व्यवस्थाः– (क)** जिला विशेष में ज्यों ही शीतलहर प्रारंभ हो, जिला पदाधिकारी द्वारा अपने विवेक से गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था जिला मुख्यालय से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी शहरी एवं अर्द्धशहरी स्थानों में की जायेगी । अलाव की व्यवस्था करते समय जिला पदाधिकारी के द्वारा यह ध्यान रखा जाय कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाया जाय जहॉ अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं या एकत्र होते हों यथा धर्मशालाएं, अस्पताल परिसर, रैन

वसेरा, मुसाफिरखाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेल/बस स्टेशन, साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय जहॉ अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके। अलाव के लिए चिन्हित स्थानों की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार मिडिया के माध्यम से कराया जाय।

(ख) जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी यथा अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में अलाव व्यवस्था का प्रभारी नामित किया जाय। इनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस राहत का लाभ वास्तव में गरीबों एवं निःसहायों को मिले एवं किसी भी परिस्थिति में इसका दुरूपयोग न हों, साथ ही मितव्ययिता बरती जाय।

अलाव की व्यवस्था हेतु सभी जिलों को अलग से राशि आवंटित की जा रही है।

4 **निरीक्षण एवं अनुश्रवणः**– जिला पदाधिकारी रैन वसेरों, शरण स्थलों एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करेंगे। ऐसी आशा की जाती है कि जिला पदाधिकारी स्वयं एवं जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समय–समय पर घूम–घूम कर अलावों के जलने का निरीक्षण करेंगे। शीतलहर से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन दिनांक –25.12.2013 से राज्य नियंत्रण कक्ष के फैक्स संख्या 0612–2217305/2217786 एवं प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के ईमेल– secy-disastermgmt-bih@nic.in पर प्रतिदिन संध्या 4.00 बजे तक अवश्य भेजना सुनिश्चित करेंगे। दैनिक प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक–I पर संलग्न है ।

5 **मीडिया के साथ समन्वयः–**

(क) जिला पदाधिकारी इस संबंध में अपने जिले में किए गए प्रबंधो की विस्तृत जानकारी प्रतिदिन स्थानीय मीडिया को देते रहेंगे। शीत लहर से बचाव के लिए किये जाने वाले उपाय से जनता को अवगत कराया जाय। शीतलहर से बचाव हेतु क्या–क्या उपाय किये जा सकते है, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग, पम्पलेटों , समाचार–पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, हॉर्डिग एवं बैनर लगाकर एवं अन्य समाचार माध्यमों से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था कराया जायगा।

(ख) यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में शीतलहर से मृत्यु की सूचना यदा–कदा प्रकाशित होती है, ऐसी सूचना के तथ्यों की जाँच कर जानकारी तुरंत ली जाय और यदि तथ्य निराधार पायें जाय तो उनका खंडन समाचार–पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराया जाय। परंतु यदि सूचना सही हो तो इस पत्र की कंडिका –2 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

कृपया उपरोक्त निदेशों का पालन दृढ़ता पूर्वक किया जाय।

अनुलग्नक यथोपरि ।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

\\Pc5-pc\d\flood\Cold Wave 2013-14\sitlahar nirdesh.doc

ज्ञापांक 5396/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संबंध में अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी यथोचित निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही जिलों के भ्रमण के समय रैन वसेरों, शरण स्थलों एवं अलाव जलाने वाले स्थलों का निरीक्षण एवं सघन अनुश्रवण करने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5396/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपिः सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर के प्रकोप से गरीब वर्गों की सुरक्षा हेतु आवश्यक मात्रा में कम्बल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5396/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में शीतलहर से बचाव हेतु कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5396 आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि शीतलहर से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज की सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5396/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपिः निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना हवाई अड्डा परिसर, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि दैनिक न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपराह्न 4.00 बजे विभाग के नियंत्रण कक्ष को टेलिफैक्स नं0 0612–2217305/2217786 ईमेल–secy-disastermgmt-bih@nic.in पर भेजने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5396/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5396/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/12/13

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

\\Pc5-pc\d\flood\Cold wave 2013-14\sitlahar nirdesh.doc

विहित प्रपत्र

शीतलहर के प्रकोप से बचाव के कार्य संबंधी दैनिक प्रतिवेदन

जिला का नाम :

दिनांक -

कमांक	जिला का सामान्य न्यूनतम तापमान	प्रतिवेदित तिथि का न्यूनतम तापमान	प्रतिदिन अलाव जलाने के स्थान एवं संख्या	प्रतिदिन जलायी गयी लकड़ी की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	अबतक जलायी गयी लकड़ी की कुल मात्रा (कि0ग्रा0 में)	शीतलहर के प्रकोप से प्रभावित जनसंख्या	मृतकों की संख्या	आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आवंटित राशि (रू0 लाख में)	अद्यतन व्यय की गयी राशि (रू0 लाख में)	अभ्युक्ति

पदाधिकारी का हस्ताक्षर